

तहसीलदार मसूदा जिला-अजमेर (राज.)

प्रकरण संख्या ५५/२०१९

राजस्थान सरकार जरिए

बनाम श्री

नादर पि० बाबू, मेरात

पटवारी हल्का

५५/१-५

भू-राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा ९१ एल.आर.एक्ट
निर्णय


दिनांक १५-५-२०१९

पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी उपस्थित। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का ५५/१-५ द्वारा सम्बन्ध २०१५ ग्राम नपागाँव की सरकारी भूमि खसरा नम्बर ५९०० कुल रकबा २८-१३-०० किस्म भूमि दाँदी में से रकबा ०-१०-० भूमि पर अप्रार्थी श्री नादर पुत्र बाबू जाति मेरात निवासी नपागाँव द्वारा नाजायज परप्ले का जार कर लिये जाने की भू-राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा ९१ एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा ९१ एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को भू-राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा एल.आर.एक्ट के प्रावधानों के तहत नोटिस दिनांक १५/५/१९ को मुकाम मसूदा पर उपस्थित होने बाबत जारी किया गया।

अप्रार्थी में नोटिस के जवाब में अपने पक्ष में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। भूमि नियमन योग्य नहीं है।

मैंने पत्रावली का विवेचनात्मक अध्ययन एवं मनन किया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कोई ठोस सबूत एवं दस्तावेज पेश नहीं किए एवं अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अपना अवैध अतिक्रमण होना स्वीकार किया। भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार सरकारी खाते में दर्ज है। अप्रार्थी बतौर अतिक्रमी उक्त भूमि पर काबिज है। अतः अप्रार्थी नादर पुत्र बाबू जाति मेरात निवासी नपागाँव को सरकारी भूमि ग्राम नपागाँव के खसरा नम्बर ५९०० कुल रकबा २८-१३-०० किस्म जमीन दाँदी में से रकबा ०-१०-० भूमि पर किए गए नाजायज कब्जे/काश्त के लिए अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं आदेश दिए जाते हैं कि अप्रार्थी को उक्त भूमि में से बेदखल किया जावे एवं आर्थिक दण्ड के रूप में वार्षिक लगान ०.१५ का पचास गुणा १५ रूपये बतौर शास्ति आरोपित की जावे व मौके पर खड़ी फसल/अन्य को जब्त सरकार कर निलाम किया जावे आदेश की पालना में भू-अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को व डिमाण्ड कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद कार्यवाही फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक १५/५/१९ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं शामिल मिसल किया गया।


तहसीलदार मसूदा

जिला अजमेर

